

**न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला - बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण क.1982 / 2003

संस्थित दिनांक-22.12.03

फाईलिंग क.234503000022003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

नंदलाल पिता समलू, उम्र-50 वर्ष,  
निवासी-ग्राम बैगानगरी, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-26/09/2016 को घोषित)**

1- आरोपी नंदलाल के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1)(1-ख)(ख) सहपठित धारा-4 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-21.11.03 को 16:25 बजे, ग्राम बैगानगरी टोला, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र बैहर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ उपनिरीक्षक मनीष राय को दिनांक-21.11.03 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बैगानगरी निवासी नंदलाल पिता समलूसिंह, अपने कब्जे में अवैध रूप से एक भरमार बंदूक रखे हुए है। वह मुखबिर की सूचना से सहायक उपनिरीक्षक दिनेश सिंह को सूचित कर उसे साथ लेकर ग्राम खुरमुण्डी बैगानगरी पहुंचा तो आरोपी नंदलाल पुलिस को देखकर भरमार बंदूक लेकर अपने घर के पीछे से भागा, तभी गवाह स्टाफ धनीराम व मोहनसिंह की मदद से आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने भरमार बंदूक के विषय में अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। आरोपी के पास से भरमार बंदूक जप्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाने वापस आकर मामले की कायमी की गई। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-193 अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी से बंदूक जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया तथा साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1)(1-ख)(ख) सहपठित धारा-4 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी नंदलाल ने दिनांक-21.11.03 को 16:25 बजे, ग्राम बैगानगरी टोला, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र बैहर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मनीष राय (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 2003 में थाना प्रभारी के पद पर पुलिस थाना बैहर में पदस्थ था। इसी दिनांक को वह ग्राम खुरमुण्डी गया था, तब उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बैगा नगरी, बैगानगरी टोला का नंदलाल पिता समलू गोंड अपने कब्जे में अवैध रूप से एक भरमार बंदूक रखा था। उक्त सूचना पर देहात से आए सहायक उपनिरीक्षक दिनेश सिंह को खुरमुण्डी से साथ लेकर आरोपी की घेराबंदी कर उसे पकड़ा और आरोपी के पास से एक भरमार बंदूक जप्त की थी। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने भरमार बंदूक का लायसेंस नहीं होना बताया। जप्ती के समय गवाह धनीराम गोंड और मोहनसिंह उपस्थित थे। उपरोक्त संबंध में अपराध क्रमांक-193/03, अंतर्गत धारा-25 आर्म्स एक्ट दिनांक-21.11.2003 को आरोपी नंदलाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही समय 16:30 बजे आरोपी नंदलाल से साक्षी धनीराम एवं मोहनसिंह के समक्ष एक भरमार बंदूक बारूद भरने वाली राड लगी हुई, चालू हालत में जप्त की गई थी और जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही समय 16:50 बजे आरोपी नंदलाल को साक्षी धनीराम एवं मोहन के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक-1162 में रवानगी डालकर ईलाका भ्रमण पर रवाना हुआ था तथा रोजनामचा सान्हा क्रमांक-1170 में वापसी दर्ज है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि रोजनामचा सान्हा, रवानगी सान्हा में थाने से रवानगी का उद्देश्य इलाका भ्रमण लिखा है। साक्षी ने यह भी कहा है कि सहायक उपनिरीक्षक दिनेश सिंह से उसकी

मुलाकात ईलाका भ्रमण के समय हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी को घेरकर पकड़ते समय साक्षी धनीराम व मोहन उपस्थित हो गए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.5 ने कहा है कि दिनांक-21.11.2003 को वह थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को थाना प्रभारी मनीष राय व हमराह स्टाफ के साथ वह बैगानगरी गया था, ग्राम खुरमुण्डी के पास उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी नंदलाल अपने पास अवैध रूप से एक भरमार बंदूक रखे हुए है। जब वे बैगानगरी देवरटोला पहुंचे तो आरोपी नंदलाल पुलिस को देखकर भागने लगा था। आरोपी को घेरकर पकड़ा गया था और आरोपी से भरमार बंदूक के विषय में अनुज्ञप्ति पूछे जाने पर आरोपी ने अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह आरोपी के घर के अंदर नहीं घुसा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्तीपत्रक उसने नहीं तैयार किया था और न ही उसने हस्ताक्षर किये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के पास से एक भरमार बंदूक जप्त नहीं की गई थी।

7— अभियोजन साक्षी उधोप्रसाद तिवारी अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-25.11.2003 को पुलिस लाईन बालाघाट में प्रधान आरखक आर.मोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के अपराध क्रमांक-193/03 में जपतशुदा एक भरमार बंदूक परीक्षण हेतु प्राप्त हुई थी। जांच करने पर उसने भरमार बंदूक को हाथ के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई होना पाया था, उसमें कोई नम्बर नहीं था और बंदूक शासकीय आर्म्स नहीं थी। उक्त भरमार बंदूक चालू हालत में थी, जिससे मानव तथा जंगली जानवर मारे जा सकते थे। इस संबंध में प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने जिस बंदूक का परीक्षण किया था, वह बंदूक पुरानी थी, परंतु उसके कलपुर्जे चालू हालत में थे। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने बंदूक को चलाकर नहीं देखा था।

8— अभियोजन साक्षी मोहपत राय अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.11.2003 में थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को वह थाना प्रभारी मनीष राय के साथ हमराह बैगानगर गया था, जहां आरोपी नंदलाल के पास एक भरमार बंदूक मिली थी। आरोपी के बंदूक पास लायसेंस नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी के घर की तलाशी के संबंध में कोई भी कार्यवाही उसके सामने नहीं की गई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह महत्वपूर्ण बात स्वीकार की है कि कार्यवाही के समय आरोपी घर पर ही था। आरोपी को बाहर घेराबंदी करके नहीं पकड़ा गया था।

9— अभियोजन साक्षी ए.एल. सरयाम अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक—27.11.2003 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तो अपराध क्रमांक—193/3 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम की डायरी प्राप्त होने पर उसने सहायक उपनिरीक्षक दिनेश सिंह, आरक्षक अवधेश, धनीराम, मोहनसिंह, मोहपत, मनीष राय के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने लेख नहीं की थी और न ही जप्तीपत्रक तैयार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कार्यवाही के समय वह विवेचक मनीष राय के साथ मौके पर नहीं गया था।

10— अभियोजन साक्षी धनीराम अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी से कोई बंदूक जप्त नहीं हुई थी। पुलिस ने घटना के विषय में उसके बयान दर्ज नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुनः इस बात से इंकार किया कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी के पास से भरमार बंदूक जप्त की थी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने कहा है कि पुलिसवालों ने उसे कोरे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था।

11— अभियोजन साक्षी मोहनसिंह अ.सा.1 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसके सामने आरोपी से भरमार बंदूक जप्त नहीं हुई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसने अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस को बयान देने से इंकार किया है।

12— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। विवेचक साक्षी मनीष राय ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसने आरोपी के आधिपत्य से घटना दिनांक को बिना अनुज्ञप्ति की एक भरमार बंदूक जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 अनुसार जप्त की थी। विवेचक मनीष राय द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.5 तथा साक्षी मोहपत राय अ.सा.3 द्वारा किया गया है, परंतु जप्ती की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों मोहनसिंह अ.सा.1 तथा साक्षी धनीराम अ.सा.2 ने नहीं किया है। उपरोक्त साक्षियों ने कहा है कि आरोपी के आधिपत्य से भरमार बंदूक जप्त की जाने की कार्यवाही उनके सामने पुलिस ने नहीं की थी। अभियोजन साक्षी उधोप्रसाद तिवारी अ.सा.6 ने यह कहा है कि उसने जप्त बंदूक का परीक्षण किया था और बंदूक को चालू हालत में पाया था, जिससे मानव तथा जंगली जानवर को मारा जा सकता था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो उसने कहा है कि उसने जप्त बंदूक को चलाकर नहीं देखा था। साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.5 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मौके पर कार्यवाही करते समय वह आरोपी के घर के अंदर नहीं गया था, जबकि साक्षी मोहपत राय अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी के घर के अंदर से ही बंदूक जप्त की



गई थी। आरोपी को बाहर घेराबंदी कर नहीं पकड़ा गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि साक्षी मनीष राय जो प्रकरण में विवेचक है ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया था। विवेचक ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जप्तशुदा बंदूक किस स्थान से जप्त की गई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 में जप्ती का स्थान ग्राम बैगानगरी का जंगल लेख है। उपरोक्त स्थिति में अभियोजन साक्षी जो घटना के समय मौके पर उपस्थित थे उनके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हुआ है। घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षी मोहनसिंह अ.सा.1 एवं धनीराम अ.सा.2 द्वारा नहीं किया गया है। "माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने अपने न्यायदृष्टांत काले बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ, एम.पी. 2008(4) एम.पी.एच.टी. 397 में प्रतिपादित किया गया है कि जब्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उससे महत्व को खो देती है और आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है" इस प्रकरण में भी जप्त भरमार बंदूक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उस पर आर्टिकल अंकित कराया है। ऐसी स्थिति में यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती। आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर आयुध अधिनियम की धारा-25(1)(1-ख)(ख) सहपठित धारा-4 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त मुक्त किया जाता है।

13— प्रकरण में आरोपी तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

14— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा भरमार बंदूक प्रदर्श पी-1 अनुसार जिला दण्डाधिकारी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु भेजी जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।** **मेरे निर्देश पर टंकित किया।**

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट